न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 135/2008/(2008/00006) जिला–अजमेर

अब्दुल रज्जाक दत्तक पुत्र याकूब खां जाति मुसलमान निवासी भिनाय तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

———अपीलांट

बनाम

1. पन्नालाल पुत्र मोहनलाल
2. कन्हैयालाल पुत्र मोहनलाल
3. ताराचन्द पुत्र मोहनलाल
4. मदनलाल पुत्र मोहनलाल

समस्त जाति कलवार निवसीगण भिनाय तहसील भिजनाय जिला अजमेर।

.....रेस्पोन्डेन्ट्स

5. जुबैदा पुत्री याकूब खां जाति मुसलमान निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर।

————तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर कलक्टर, अजमेर दिनांक 16–06–2008
अन्तर्गत अपील संख्या संख्या 46/2007
बउनवान पन्नालाल बनाम श्री अब्दुल रज्जाक व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री एम.एल.गुर्जर अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीत सिंह राठौड़ अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः– 26.08.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मु0 भूरी बेवा याकूब द्वारा मौजा भिनाय में धारित खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1635 रकबा 0.28 हैक्टर मु0 भूरी के स्वर्गवास होने के बाद नियमानुसार उसके विधिक वारिसान की जांच की जाकर अपीलांट मु0 भूरी व याकूब का दत्तक पुत्र होने से नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 13–12–2001 को अपीलांट व जुबेदा पुत्री

याकूब के नाम स्वीकार किया गया। विवादग्रस्त आराजियात बाबत एक विकय का इकरारनामा मु0 भूरी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के पक्ष में किये जाने का आधार लेकर रेस्पोन्डेन्ट कन्हैयालाल ने सिविल न्यायालय में दीवानी वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है तथा नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 13–12–2001 की जानकारी प्रारम्भ से ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 को होने के बावजूद नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 13–12–2001 के विरूद्ध एक अपील अपर कलक्टर अजमेर के यहां धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2008 से नामान्तरकरण संख्या 215 दिनांक 13–12–2001 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, भिनाय को मृतक के वारिसान के संबंध में मय दत्तक पुत्र बाबत पूर्ण जांच कर सिविल न्यायलय में विचाराधीन मूल वाद में हुए निर्णय की जानकारी प्राप्त कर नए सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपर कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रत्यर्थीगण संख्या 1 द्वारा अपील काफी विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में जो कथन किये गये वह मनघढ़न्त एवं झूठे होने से निराधार है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 लगायत 4 को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। अपर कलक्टर अजमेर ने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर गौर कर न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर मेरिट पर बहस सुनने का निश्चय किया गया। इस प्रकार अस्पष्ट कारण रहित आदेश से करीब 6 साल देरी से प्रस्तुत अपील को अन्दर अवधि शुमार कर मेरिट पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था जिसमें विलम्ब को क्षमा किया जा सके।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपर जिला कलक्टर अजमेर व प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं अपने कथनों व निर्णय में यह स्वीकार कर रहे है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में पक्षकार नहीं थे तथा ना ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया है। यह तथ्य स्वीकार किये जाने के बाद बिना धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र द्वारा अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान किये अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान किये अपील को सुनने का अधिकार नहीं था। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के अभाव में सीधे अपील इन्टरटेन भी नहीं की जा सकती थी। अधिनस्थ न्यायलय ने नामान्तरकरण की कार्यवाही को समरी कार्यवाही मानते हुए नियमित वाद के निर्णय तक कार्यवाही को स्थगित करने की अवधारणा ली है तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भी यही कथन अपील के जरिये किया है ऐसी स्थिति में विवादास्पद नामान्तरकरण को निरस्त भी नहीं किया जा सकता

था और ना ही प्रकरण को रिमाण्ड किया जा सकता था। अपील के जरिये समरी कार्यवाही को सिविल न्यायलय में विचाराधीन मूल वाद के निर्णय अनुसार कार्यवाही के निर्देश के साथ अपील खारिज की जानी चाहिए थी।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपर कलक्टर अजमेर ने आदेश अन्तर्गत अपील द्वारा मृतक के वारिसान के संबंध में मय दत्तक पुत्र बाबत पूर्ण जांच कर निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 न तो अपीलांट का दत्तक पुत्र है या नही के बिन्दु को चैलेन्ज कर सकता है तथा ना ही मृतक के वारिसान के संबंध में जांच कर निर्णय पारित करने का निवेदन ही कर सकता है। मृतका भूरी के यदि अन्य वारिसान और है तथा उनका हक व अधिकार यदि बनता है तो वे ही एतराज कर सकते है तथा उन्हें ही अपील करने का अधिकार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 का विवादग्रस्त आराजियात पर स्वत्व अधिकार बाबत निर्णय सिविल न्यायालय से होना शेष है ऐसी स्थिति में वे इस प्रकरण में कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। सिविल न्यायालय के निर्णय के बाद ही यदि उनके कोई अधिकार है तो उन्हें स्वतः हासिल हो जायेंगे। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2008 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि विवादग्रस्त आराजियात की रेकार्डेड खातेदार श्रीमती भूरी बेवा याकूब खां द्वारा रेस्पोन्डेन्ट एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण से 15000/– रूपये नगद प्राप्त कर विवादित भूमि बाबत इकरारनामा दिनांक 22–7–1995 को निष्पादित कर दिया था तभी से वे विवादित भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि से लगती हुई भूमि में ग्राम भिनाय की आबादी विकसित हो जाने से इकरारनामें में अंकित शर्त से मुकरते हुए श्रीमती भूरी ने रजिस्ट्री कराने से इनकार कर दिया जिस पर प्रत्यर्थीगण एवं तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट ने सिविल जज (क0ख0) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग केकड़ी के समक्ष दीवानी वाद प्रस्तुत कर ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया गया। तत्पश्चात श्रीमती भूरी की मृत्यु हो जाने पर आक्षेपित आदेश से विरासत का नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में कर दिया।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मुस्लिम विधि में दत्तक गृहण का कोई प्रावधान नहीं है न ही श्री अब्दुल रज्जाक ने अपने आपको श्री याकूब खां का अथवा मु0 भूरी का दत्तक पुत्र होना ही सिद्ध किया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे अपीलांट का मृतक अथवा उने पति के गोद जाना सिद्ध होता हो। श्रीमती भूरी ने भी सिविल न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसके तीन पुत्रिया है एवं कोई दत्तक पुत्र गोद नहीं लिया है। इसके बावजूद तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 को विवादित भूमि में से 1/4 हिस्से का तथा अपीलांट को गैर कानूनी रूप से 3/4 हिस्से का खातेदार अंकित किया है। नामान्तरकरण के

मुख्य पृष्ठ पर याकूब खां का सजरा अंकित किया गया है तो फिर तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट जुबेदा पुत्र याकूब के नाम नामान्तरकरण क्यों तस्दीक किया गया, स्पष्ट नहीं है नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 16 में अंकित टिप्पणी में भी पटवारी हलका द्वारा कब्जे संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त मृतकाकी दो पुत्रियों द्वाारा अपीलांट के साथ उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष नियमित वाद प्रस्तुत किया जिसे स्वयं ने दिनांक 24–2–2007 को निरस्त करवा लिया था। उक्त भूमि प्रत्यर्थीगण एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण को जरिये इकरारनामा विक्रय कर कब्जा व दखल दे दिया था किन्तु वक्त इकरारनामा श्रीमती भूरी के नाम विवादग्रस्त आराजियात गैर खातेदारी में दर्ज होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी। तत्पश्चात अपीलांट व तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 के मन में बदनीयती आने से विक्रय पत्र पंजीकरण हेतु मना कर दिया जिससे क्रेतागण द्वारा सक्षम न्यायलय में दीवानी वाद दायर कर श्रीमती भूरी को ताफैसला दीवानी वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया गया किन्तु उनकी मृत्यु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 215 स्वीकृत कर दिया है। जब नियमित वाद विचाराधीन हो तो समरी कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए। अधिनस्थ न्यायलय अपर कलक्टर अजमेर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2008 विधिसम्मत है । अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपर सिविल न्यायाधीश (व0ख0) संख्या 2 केकड़ी जिला अजमेर में वादीगण कन्हैयालाल वगैरह बनाम मु0 भूरी व अन्य द्वारा प्रस्तुत वाद में अपने आदेश दिनांक 13–7–2010 में डिक्री जारी कर आदेश पारित किया है कि प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वे दो माह में विवादित आराजियात खसरा नम्बर 683 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा किस्म चट्टानी जो गाम भिनाय में स्थित है, का विक्रय पत्र वादीगण (प्रस्तुत अपील में प्रतिवादी संख्या 1 से 4) के खर्चे पर सबरजिस्ट्रार कार्यालय भिनाय में वादीगण के हक में पंजीबद्ध करावे तथा प्रतिवादीगण (प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5) सहित मु0 भूरी बेवा याकूब खां व अन्य को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि खसरा नम्बर 683 में वादीगण के भौतिक कब्जे में कोई बाधा कारित न करे। मुस्लिम लॉ में दत्तक पुत्र लेने का कोई नियम नहीं है। अपर सिविल न्यायाधीश (व0ख0) संख्या 2 केकड़ी जिला अजमेर ने भी अपने निर्णय में अब्दुल रज्जाक मु0 भूरी बेवा याकूब दत्तक पुत्र है इस संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है, का उल्लेख किया है। मु0 भूरी द्वारा अपनी स्वयं की तीन पुत्रियां ही है का अंकन किया गया है तथा अपीलार्थी अब्दुल रज्जाक को कभी मु0 भूरी द्वारा गोद लिया गया हो ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार विधि मान्य दत्तक के लिए यह आवश्यक है कि दत्तक लिया जाना व दत्तक दिया जाना साबित होना चाहिए। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं दौराने बहस भी ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

तहसीलदार, भिनाय द्वारा भी बिना विधिक वारिसानों की जांच किये नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो विधिसम्मत नहीं है। नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक–हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2008 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अपर कलक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–6–2008 अन्तर्गत अपील संख्या 46/2007 बउनवान पन्नालाल बनाम श्री अब्दुल रज्जाक व अन्य विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर